दैनिक भास्कर

पटना, शुक्रवार, 20 सितंबर, 2019 | 3

रेरा ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के एकाउंट से रुपए की निकासी रोकी

सिटी रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड और अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एकाउंट से रुपए की निकासी पर रोक लगा दी है। कंपनी पर लोगों को फ्लैट या इसका पैसा नहीं लौटाने का आरोप है। कंपनी और शिकायतकर्ता, दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। मनोज कुमार सिंह, नीलम सहाय, राजकुमार, चंदन कुमार साहू, सुमन कुमार दूबे, शिवकुमार श्रीवास्तव, रवि रंजन, किरण सिंह, विनोद कुमार सिंह, रघुवंश नारायण, अजय कृष्ण, सावित्री देवी, मीरा गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता आदि ने रेरा के पास कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रेरा ने अपने आदेश में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का हवाला दिया है। कहा है- 'फ्लैट देने या इसके रुपये की वापसी के मामले में कंपनी लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे रही है। कोई न कोई बहाना बना कर टाल रही है। कंपनी, शिकायतकर्ता को कब फ्लैट देगी या कब पैसा लौटाएगी, यह भी नहीं बता रही। कंपनी, रेरा के निर्देश को भी नजरअंदाज कर रही है।' रेरा ने कंपनी से कहा है कि वह शिकायतकर्ताओं को उनका पैसा किस तरह लौटा,गी, इसका डिटेल प्लान एफिडेविट कर बताए। एजेंसी ने तत्काल प्रभाव से दोनों कंपनियों के खाते से निकासी को अगले आदेश तक रोक दिया।